**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1336**
**दिनांक 27 जुलाई, 2023**

**पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमत**

**†1336. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश के लोगों में व्यापक नाराजगी देखी है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 2014 की तुलना में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है जबकि एलपीजी की कीमतें तीन गुना हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में इतनी भारी वृद्धि के क्या कारण हैं और पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार द्वारा कौन से कर अधिरोपित किए गए हैं; और

(घ) बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) से (घ): देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित हैं। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं।

दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के औसत खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) क्रमश: 66.37 रुपये और 53.38 रुपये प्रति लीटर थे और दिनांक 21.07.2023 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 96.72 रुपये और 89.62 रुपये प्रति लीटर हैं।

सरकार ने दो बार क्रमश: नवंबर, 2021 और मई, 2022 में पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है। उत्पाद शुल्क में कमी का फायदा पूरी तरह से उपभोक्ताओं को दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप खुदरा बिक्री मूल्यों में कमी आई। इस उपाय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना तथा खपत बढ़ाना और मुद्रास्फीति को कम बनाए रखना था ताकि गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद की जा सके। बाद में अनेक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट दरें कम कर दी हैं।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्य से जुड़ा हुआ है। तथापि, सरकार घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। यथा स्वीकार्य राजसहायता पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 12 रीफिल्स हेतु 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की है।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क) 415 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी से बढ़कर 712 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी हो गया था। तथापि, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का भार पूरी तरह से भारतीय नागरिकों पर नहीं डाला गया था जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को घरेलू एलपीजी बिक्री पर लगभग 28,000 करोड़ रुपये की अल्प वसूली हुई। इसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ओएमसीज को 22,000 करोड़ रुपये का एकबारगी मुआवजा अनुमोदित किया है। कोविड महामारी के दौरान सरकार ने वर्ष 2020 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमयूवाई परिवारों को लगभग 14.17 करोड़ रुपये निशुल्क एलपीजी रिफिल उपलब्ध करवाएं हैं।

अप्रैल, 2014 में दिल्ली में गैर राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडर का मूल्य 980.50 रुपये था और दिनांक 21.07.2023 की स्थिति के अनुसार प्रति14.2 किलोग्राम का सिलिंडर 1103 रुपये है।

दिनांक 21.07.2023 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी पर करों का ब्यौरा निम्नवत् है:-

**पेट्रोल और डीजल :**

**उत्पाद और सीमा शुल्क :**पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद और सीमा शुल्क दरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| उत्पाद | उत्पाद शुल्क (रुपये प्रति लीटर) | सीमा शुल्क |
|---|---|---|
| पेट्रोल | 19.90 | 2.5 प्रतिशत सहित 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण अधिभार |
| डीजल | 15.80 | |

*नोट: दिनांक 01.11.2022 से लक्षित बिक्री के लिए अमिश्रित पेट्रोल (एथेनॉल या मिथेनॉल के साथ मिश्रित नहीं किए गए) पर अतिरिक्त आधारभूत उत्पाद शुल्क @ 2/-रुपये प्रति लीटर लगाया गया है।

**वैट दरें:** दिनांक 21.07.2023 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर वैट/ बिक्री कर का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

**एलपीजी:**

एलपीजी पर लागू सीमा शुल्क और जीएसटी के दरें निम्नवत् हैं:

| **विवरण** | | **जीएसटी** | **सीमा शुल्क** | **कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)** |
|---|---|---|---|---|
| एलपीजी | घरेलू* | 5.00 % | शून्य | शून्य |
| | गैर-घरेलू | 18.00% | 5.00 % | 15 % |

* घरेलू उपभोक्ताओं को पीएसयू ओएमसीज द्वारा बिक्री किए गए घरेलू एलपीजी के आयात हेतु आधारभूत सीमाशुल्क शून्य है। घरेलू एलपीजी के लिए आधारभूत सीमा शुल्क दर 5 % और अन्य आयातकों के लिए एआईडीसी 15% है।

उपरोक्त के अलावा,कुल सीमा शुल्क पर 10% सामाजिक कल्याण अधिभार भी लागू होगा। (एकीकृत माल और सेवा कर के स्थान पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी को हटाकर)

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिनांक 25.07.2022 और 25.07.2023 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) का ब्यौरा निम्नवत् है।

| **निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार खुदरा बिक्री मूल्य** | **पेट्रोल (रुपये प्रति लीटर)** | **डीजल (रुपये प्रति लीटर)** | **घरेलू एलपीजी (रुपये/14.2 किलोग्राम सिलिंडर** |
|---|---|---|---|
| 25.07.2022 | 96.72 | 89.62 | 1053.00 |
| 25.07.2023 | 96.72 | 89.62 | 1103.00 |

अनुलग्नक

**"पेट्रोलियम उत्पादों की बढती कीमत" के संबंध में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा दिनांक 27.07.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1336 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

| क्र.सं. | राज्य | पेट्रोल | डीजल |
|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1% | 1% |
| 2. | आं प्रदेश | 31% वैट +4 रु. /लीटर वैट +1 रु/.लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट | 22.25% वैट +4 रु/.लीटर वैट + 1 रु/.लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 14.50% | 7.00% |
| 4. | असम | 21.95% या 16.80 रु.प्रति लीटर जो भी अधिक हो | 20.88 % या 13.60 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो 13.60 रु. प्रति लीटर न्यूनतम कर के अधीन 1.66 रु. प्रति लीटर की छूट |
| 5. | बिहार | 23.58% या 16.65 रु. /लीटर जो भी अधिक अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट ) पर 30% अधिभार) | 16.37% या 12.33 रु./लीटर जो भी अधिक हो (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% |
| 6. | चंडीगढ़ | 10 रु./केएल उप कर+15.24% या 12.42 रु./लीटर जो भी अधिक हो | 10 रु./केएल उप कर+6.66% या 5.07 रु. /लीटर जो भी अधिक हो |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 24% वैट +2 रु./ लीटर वैट | 23% वैट + 1 रु./लीटर वैट |
| 8. | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 12.75% वैट | 13.50% वैट |
| 9. | दिल्ली | 19.40% वैट | रु 250/ केएल एयर एंबियंस प्रभार + 16.75% वैट |
| 10. | गोवा | 20% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर | 17% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर |
| 11. | गुजरात | 13.7% वैट वैट और टाउन रेट पर + 4% उप कर | 14.9% वैट वैट और टाउन रेट पर + 4% उप कर |
| 12. | हरियाणा | 18.20% या 14.50 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है वैट पर + 5% अतिरिक्त कर | 16.00% वैट या 11.86 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है वैट पर + 5% अतिरिक्त कर |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 17.5% या 13.50रु. / लीटर जो भी अधिक - हो | 13.90% या 10.40 रु. /लीटर जो भी अधिक हो - |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 24% एमएसटी + 2 रुलीटर रोजगार उप / . कर, 4.50 रु. / लीटर की छूट | 16% एमएसटी + 1.00 रु./लीटर रोजगार उप कर, 6.50 रु. /लीटर की छूट |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | झारखंड | बिक्री मूल्य पर 22% या 17.00 रु. प्रति लीटर, जो भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर | बिक्री मूल्य पर 22% या 12.50 रु. प्रति लीटर, जो भी अधिक है उप कर + 1.00 रुपये प्रति लीटर |
| 16. | कर्नाटक | 25.92% बिक्री कर | 14.34% बिक्री कर |
| 17. | केरल | 30.08% बिक्री कर +1 रु. / लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर, 2 रु./लीटर समाज सुरक्षा उप कर | 22.76% बिक्री कर +1 रु./ लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर,2 रु./लीटर सामाजिक सुरक्षा उप कर |
| 18. | लद्दाख | 15%एमएसटी+ 5 रु./लीटर रोजगार उप कर, 2.5 रु./लीटर कमी | 6% एमएसटी+ 1 रु./लीटर रोजगार उप कर, 0.50 रु. /ली .कमी |
| 19. | लक्षद्वीप | 10% वैट | 10% वैट |
| 20. | मध्य प्रदेश | 29% वैट + 2.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर | 19% वैट +1.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर |
| 21. | महारा - मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई और औरंगाबाद | 26% वैट +5.12 रु. / लीटर अतिरिक्त कर | 24% वैट |
| 22. | महारा (शेष राज्य) | 25% वैट +5.12 रु. / लीटर अतिरिक्त कर | 21% वैट |
| 23. | मणिपुर | 25% वैट | 13.5% वैट |
| 24. | मेघालय | 13.50% या 13.00 रु. / लीटर – जो भी अधिक हो (0.10/लीटर प्रदूषण अधिभार) | 5% या 6.00 रु./लीटर – जो भी अधिक हो (0.10/लीटर प्रदूषण अधिभार) |
| 25. | मिजोरम | 16.36% वैट | 5.23% वैट |
| 26. | नगालैंड | 25% वैट या 16.04 रु./लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार रु + 2.00/लीटर सड़क रखरखाव तथा 5.5 रु. /लीटर की छूट | 16.50% वैट या 10.51 रु./लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार रु + 2.00/लीटर सड़क रखरखाव तथा 5.1/ रु. लीटर की छूट |
| 27. | ओडिशा | 28% वैट | 24% वैट |
| 28. | पुडुचेरी | 14.55% वैट | 8.65% वैट |
| 29. | पंजाब | 2050 रु. /केएल (उप कर + (0.10 रु प्रति लीटर +(शहरी परिवहन निधि)0.25 प्रति लीटर विशेष बुनियादी विकास ) (शुल्क+15.74% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर या 14.32 रु. /लीटर, जो भी अधिक हो | 1050 रु. /केएल (उप कर + (0.10 रु.प्रति लीटर शहरी ) +(परिवहन निधि0.25 प्रति लीटर विशेष बुनियादी विकास ) (शुल्क+12.00% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर या 10.02 रु. /लीटर, जो भी अधिक हो |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30. | राजस्थान | 31.04 % वैट +1500 रु./ केएल सड़क विकास उप कर | 19.30 % वैट +1750 रु. / केएल सड़क विकास उप कर |
| 31. | सि म | 20% वैट + 3000 रु./ केएल उप कर | 10% वैट + 2500 रु./ केएल उप कर |
| 32. | तमिलनाडु | 13% + 11.52 रुप्रति लीटर. | 11% + 9.62 रुप्रति लीटर. |
| 33. | तेलंगाना | 35.20% वैट | 27% वैट |
| 34. | त्रिपुरा | 17.50% वैट + 3% त्रिपुरा रोड़ विकास उप कर | 10.00% वैट + 3% त्रिपुरा रोड़ विकास उप कर |
| 35. | उ र प्रदेश | 19.36% या 14.85 रु./ लीटर जो भी अधिक हो | 17.08% या 10.41 रु./ लीटर जो भी अधिक हो |
| 36. | उ राखंड | 16.97% या 13.14 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो | 17.15% या 10.41 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो |
| 37. | प म बंगाल | 25% या 13.12 रु./ लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु./ केएल उप कर – 1000 रु./केएल बिक्री कर छूट (अप्रतिल य कर के रूप में वैट पर 20% अतिरिक्त कर) | 17% या 7.70 रु./लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु. / केएल उप कर –1000 रु. /केएल बिक्री कर छूट (20% अप्रतिल य कर के रूप में वैट पर अतिरिक्त कर) |

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रको (पीपीएसी)

***